

संख्या: शिक्षा-एच(21)ए(1) 16/2018-(सामान्य निर्देश)-तूज
शिक्षा निदेशालय (उच्चतर) हिमाचल प्रदेश।
दिनांक : शिमला-171001,

जुलाई 2019.

प्रेषक:-

निदेशक,
शिक्षा निदेशालय (उच्चतर), हि0प्र0।

प्रेषित:-

1. उपायुक्त शिमला
जिला शिमला हिमाचल प्रदेश।
2. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी,
परिवहन निदेशालय, शिमला हिमाचल प्रदेश।

विषय:- स्कूली बच्चों की सुरक्षा के सन्दर्भ में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में दिनांक 01.07.2019 को प्रातः शिमला शहर के खलीनी में हुए स्कूल बस हादसे और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या: एचएच-ए(7)-1/2018 दिनांक 12.10.2018 की और आकर्षित करते हुए अनुरोध किया जाता है कि छात्रों की सुरक्षा के मध्यनजर हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा निजी स्कूलों को उपलब्ध करवाई जा रही बसों की उचित जांच करने के उपरान्त ही बसों को उपलब्ध करवाई जाये।

इसके अतिरिक्त निजी स्कूलों द्वारा स्कूली विद्यार्थियों को घर से स्कूल लाने व स्कूल से वापिस घर ले जाने हेतु उपलब्ध करवाई जा रही बसों व टैक्सियों के सम्बन्ध में स्कूल प्रबन्धन से परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या: एचएच-ए(7)-1/2018 दिनांक 12.10.2018 की अनुपालना सुनिश्चित की जाये। स्कूल द्वारा यातायात नियमों की अवहेलना करने पर स्कूल प्रबन्धन के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाये। ताकि आये दिन हो रहे हादसों पर रोक लग सके।

शिक्षा निदेशक (उच्चतर)
हिमाचल प्रदेश शिमला-1
जुलाई, 2019

पृष्ठांकन संख्या: 04 दिनांक: शिमला-171001.
प्रतिलिपि:-

1. समस्त जिला उप शिक्षा निदेशक (उच्चतर) हिमाचल प्रदेश को निर्देश दिये जाते हैं कि समस्त निजी स्कूलों के प्रधानाचार्य/मुख्याध्यापकों को स्कूली बच्चों की सुरक्षा के हितों को मध्यनजर रखते हुए समय-समय पर विभाग द्वारा जारी निर्देशों की अनुपालना करने के आदेश जारी करें। किसी भी स्कूल द्वारा यातायात नियमों का पालन न करने की स्थिति में स्कूल के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाये।
2. समस्त निजी स्कूलों के प्रधानाचार्यों/मुख्याध्यापकों, को निर्देश दिये जाते हैं कि परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या: एचएच-ए(7)-1/2018 दिनांक 12.10.2018 की अनुपालना सुनिश्चित करे तथा यातायात नियमों के अनुरूप स्कूल बसों में योग्य चालकों की नियुक्ति करें।
3. अधीक्षक ग्रेड-2 कम्प्यूटर शाखा, शिक्षा निदेशालय उच्चतर को विभागीय बैकसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।
4. रक्षक नरित।

शिक्षा निदेशक (उच्चतर),
हिमाचल प्रदेश शिमला-1

G-11 (R)
80
05/07/2019

7430
5/8/19

Endst. No: - EDN-U (G-II R) Pvt. School/ 2018/- 12489
Office of the Deputy Director of Higher Education,
UnaDistt. Una (HP).
Dated Una 28 July, 2019

Forwarded in original all the Principals/ Headmasters Private Senior Secondary / High Schools in Una District for information and strict compliance. With immediate effect the school authorities with be personally held responsible for any such activity, if found in the later stage.

Deputy Director of Higher Education,
Una Distt. Una (HP).
[Handwritten signature in green ink]